राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच

एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5610/2024

1. भानु प्रकाश शर्मा, श्री ज्ञानप्रकाश शर्मा के पुत्र, निवासी ज्ञान ज्योति विद्यापीठ, खुन्टा का रास्ता, नियर भधभुजे, थर्ड क्रॉसिंग, किशनपोल बाजार, जयपुर (राज)

2. भगवान दास गत्तानी उर्फ प्रकाश नारायण गत्तानी, संपूर्ण आजीवन ट्रस्टी, श्री शिव सत्संग भवन ट्रस्ट, म्यूजियम रोड, रामनिवास बाग, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. मूर्ति मंदिर ठाकुरजी, मूर्ति श्री शिव परिवार, श्री राम दरबार, श्री गीता गोपाल, श्री राधा कृष्ण की मूर्ति और गुरुजी अखंड ब्रह्मांड नायक स्वामी जी श्री कृष्णानंद जी के श्री विग्रह, जिनकी पुजारी और अगले मित्र संजय परासर, स्व. श्री सीताराम परासर के पुत्र, श्री शिव सत्संग मंदिर भवन, जयच्यार्य मार्ग, रामनिवास बाग, म्यूजियम रोड, जयपुर।
2. भगवान दास रेमानी, स्व. श्री जानकी नाथ तेमानी के पुत्र, निवासी प्लॉट नंबर 703, अभिषेक विहार, लालपुरा रोड, गांधी पथ, जयपुर, वर्तमान निवासी श्री श्री शिव सत्संग मंदिर भवन, जयच्यार्य मार्ग, रामनिवास बाग, म्यूजियम रोड, जयपुर (राज)।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए	:	श्री एम.एम. रंजन, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री रोहन अग्रवाल की सहायता से
प्रतिवादी(ओं) के लिए	:	श्री आर.पी. गर्ग

(30/05/2025 को 12:20:31 बजे डाउनलोड किया गया)

माननीय श्री जस्टिस **अनूप कुमार धांढ**

आरक्षित किया गया : 06/05/2024
उच्चारित किया गया 10/05/2024
रिपोर्टेबल

आदेश

1. इस रिट याचिका के दायर करने के तरीके से, प्रतिवादी-याचिकाकर्ताओं (जिसे आगे "प्रतिवादी"कहा जाएगा) नेविवादित आदेश दिनांक 12.03.2024 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या 4, जयपुर महानगर-I द्वारा पारित किया गया, जिसे वादियों-प्रतिवादीओं (आगे "वादियों"कहा गया है) द्वारा दायर सिविल अपील में चुनौती दी गई, जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं को विभिन्न देवताओं की मूर्तियों और श्री कृष्णानंदजी (आगे "स्वामी जी"कहा गया है) की तस्वीरों को कोई क्षति पहुँचाने से रोका गया तथा मंदिर में पूजा-अर्चना की प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न न करने के लिए निर्देशित किया गया, जब तक कि वाद का निस्तारण न हो जाए।

2. वादी मूर्ति मंदिर ठाकुरजी ने अपने पुजारी और अगले मित्र के माध्यम से प्रतिवादियों के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा के लिए अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश संख्या 1, जयपुर महानगर-I (आगे "विचारण न्यायालय"कहा गया है) के समक्ष वाद दायर किया कि मंदिर में कई देवताओं की मूर्तियाँ तथा स्वामी जी की तस्वीरें स्थित हैं। ऐसा आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी, स्वर्गीय स्वामी जी की फोटो-प्रतिमाओं को चंदन लगाकर तथा उन पर विभिन्न नाम लिखकर नष्ट कर रहे हैं और मंदिर में पूजा की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

(30/05/2025 को 12:20:31 बजे डाउनलोड किया गया)

3. वाद के साथ, अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सीपीसी के तहत भी आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रतिवादियों के विरुद्ध वाद निस्तारण तक निषेधाज्ञा की मांग की गई। प्रतिवादियों ने पृथक-पृथक उत्तर प्रस्तुत किए और वाद में किए गए सभी आरोपों से इनकार किया तथा मंदिर में देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों को उनसे किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचने के तथ्य को भी इनकार किया।

4. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद, विचारण न्यायालय ने वादी द्वारा आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सीपीसी के तहत प्रस्तुत आवेदन को आदेश दिनांक 05.12.2023 द्वारा अस्वीकार कर दिया।

5. आदेश दिनांक 05.12.2023 से आहत और असंतुष्ट होकर, वादी ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश क्रमांक 4, जयपुर महानगर-I (आगे "अपील न्यायालय"कहा गया है) के समक्ष एक सिविल मिश्रित अपील प्रस्तुत की और उक्त अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, विवादित आदेश दिनांक 12.03.2024 पारित किया गया, जिसके द्वारा प्रतिवादियों को मंदिर में स्थित भगवान की मूर्तियों तथा स्वामी जी की तस्वीरों और प्रतिमाओं को कोई क्षति पहुँचाने से तथा पूजा-अर्चना की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने से, वाद के अंतिम निस्तारण तक रोका गया।

6. ऊपर्युक्त विवादित आदेश दिनांक 12.03.2024 से आहत होकर, प्रतिवादियों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इस याचिका को प्रस्तुत कर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

(30/05/2025 को 12:20:31 बजे डाउनलोड किया गया)

7. प्रतिवादियों के वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी एवं स्वामी जी के हजारों अनुयायी इस मंदिर में पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से "सेवा-पूजा" कर रहे हैं तथा वे स्वामी जी की तस्वीर के मस्तक, हाथ आदि पर चंदन लगा रहे हैं और तस्वीर पर विभिन्न आध्यात्मिक नाम लिख रहे हैं, और ऐसा धार्मिक कार्य स्वामी जी की फोटो-प्रतिमा को कोई क्षति नहीं पहुँचा रहा है।

8. अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विवादित आदेश दिनांक 12.03.2024 की आड़ में, प्रतिवादियों को वादियों द्वारा प्राचीन परंपरागत तरीके से "सेवा-पूजा"(पूजा-अर्चना) करने, स्वामी जी की तस्वीर पर चंदन लगाने तथा उस पर विभिन्न आध्यात्मिक नाम लिखने की अनुमति नहीं दी जा रही है। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वादियों का यह कृत्य प्रतिवादियों की धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है। अत, इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक है।

9. विपरीत रूप में, वादियों के अधिवक्ता ने प्रतिवादियों के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाओं की आड़ में, प्रतिवादी स्वामी जी की फोटो-प्रतिमा को क्षति पहुँचा रहे हैं। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों को मंदिर में पूजा करने से कभी नहीं रोका गया। अतः, इस न्यायालय का कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

10. पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

(30/05/2025 को 12:20:31 बजे डाउनलोड किया गया)

11. यहाँ अनुच्छेद 51 ए(एफ) भारतीय संविधान के अनुसार कहता है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह हमारे संयुक्त संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व दे और संरक्षित करे। विरासत और संस्कृति के संरक्षण के लिए सभी पर एक विशेष जिम्मेदारी और कर्तव्य सौंपा गया है और किसी को भी मूर्तियों, प्रतिमाओं आदि को कोई क्षति पहुँचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

12. यहाँ एक संवैधानिक दायित्व है कि सभी धर्मों, संस्कृतियों की धार्मिक प्रथाओं को संरक्षित किया जाए और इसी दिशा में कार्य करना एक संबंधित कर्तव्य भी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सारिका बनाम प्रशासक, श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति, उज्जैन (मध्य प्रदेश) एवं अन्य, (2018) 17 एससीसी 112 के मामले में यह कहा है कि मंदिरों में किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों और पूजाओं को निर्धारित करने या उसमें किसी प्रकार की रोक लगाने का अधिकार न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इन अनुष्ठानों और पूजाओं का पालन प्राचीन रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार किया जाना चाहिए, परंतु साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मूर्तियों को कोई क्षति न पहुँचे। पूजा ऐसी विधि से की जानी चाहिए जिससे देवता को प्रसन्नता हो और मूर्तियों के क्षरण की संभावना न हो, जिनके लिए इतना विशाल ढांचा अस्तित्व में है। मूर्तियों को नष्ट या शोषित किए जाने की अनुमति किसी स्थिति में नहीं दी जा सकती।

यह आगे यह भी कहा गया है कि दूषित दूध, घी, कुमकुम, गुलाल, अबीर जिसमें रासायनिक तत्वों के कारण मिलावट हो, उसका चढ़ावा चढ़ाना अनुचित है और उसे अनुष्ठानों का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मूर्तियों को अशुद्ध पदार्थों

(30/05/2025 को 12:20:31 बजे डाउनलोड किया गया)

की रासायनिक प्रक्रिया या गंदे पानी के डालने के कारण नष्ट होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसे चढ़ावे के कार्यों की अनुमति नहीं दी जा सकती और ये कार्य जो लोग मूर्ति पर पड़े दुष्प्रभावों से अनजान होकर मासूमियत में करते हैं। यदि भक्तों को अपने पूजा के इन सभी दुष्प्रभावों के बारे में पता होता, जो वे अपने भगवान की मूर्ति पर डाल रहे हैं, जिसकी पूजा वे आध्यात्मिक या अन्य लाभ के लिए कर रहे हैं, तो वे ऐसा करने का सपना भी नहीं देखते।

13. मामले से जुड़े विवाद को देखते हुए, अपीलीय न्यायालय ने एक विवेकाधीन आदेश पारित किया है जिसमें प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया है कि वे भगवान की मूर्तियों और स्वामी जी की फोटो-मूर्ति को कोई नुकसान न पहुँचाएँ और मुकदमे के अंतिम निपटारे तक मंदिर में पूजा-अर्चना की प्रक्रिया में कोई बाधा न डालें।

14. इस न्यायालय की राय में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष जो मुद्दे उठाए गए हैं, चाहे वे तथ्यात्मक मुद्दे हों या कानूनी मुद्दे, वे सभी मामले ट्रायल कोर्ट द्वारा मुकदमे की सुनवाई के दौरान तय किए जा सकते हैं, उपयुक्त चरण पर। और यह कानून की दृष्टि से अनुमेय नहीं है कि यह न्यायालय, अपीलीय न्यायालय द्वारा दी गई अस्थायी निषेधाज्ञा के विरुद्ध अपने पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करे। यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि ये सभी तथ्यात्मक और कानूनी मुद्दे ट्रायल कोर्ट द्वारा मुकदमे की सुनवाई के दौरान और पक्षकारों की साक्ष्य दर्ज करने के बाद विचार किए जाने के लिए खुले हैं। वर्तमान मामले के तथ्यों में, यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलीय न्यायालय ने अपने विवेकाधिकार

(30/05/2025 को 12:20:31 बजे डाउनलोड किया गया)

और न्यायसंगत अधिकार क्षेत्र का मनमाना और असंगत ढंग से प्रयोग किया है। जिसे चुनौती दी गई है वह आदेश न तो विकृत कहा जा सकता है और न ही उसमें कोई गंभीर गैरकानूनी या अधिकार क्षेत्र की त्रुटि है। बल्कि, ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया दृष्टिकोण असंभव नहीं माना जा सकता।

15. विधि के सिद्धांत, आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सीपीसी के अंतर्गत आवेदन से संबंधित, अब और रेस इंटेग्रा नहीं हैं और यह मुद्दा अनेक निर्णयों की श्रृंखला में निपट चुका है, कि यदि ट्रायल कोर्ट या अपीलीय न्यायालय ने अस्थायी स्थगनादेश देने में अपने विवेक का प्रयोग किया है, तो पर्यवेक्षी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए अत्यंत सीमित है। ट्रायल कोर्ट या अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अस्थायी स्थगनादेश में हस्तक्षेप केवल तभी किया जा सकता है जब पर्यवेक्षी न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि ट्रायल कोर्ट या अपीलीय न्यायालय ने मनमाने ढंग से या कानून के विपरीत कार्य किया है या ट्रायल कोर्ट या अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष विकृत या मनमाने, स्पष्ट रूप से गलत तथा बिल्कुल अस्वीकार्य हैं। यदि अपीलीय न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभव दृष्टिकोण है, तो पर्यवेक्षी न्यायालय द्वारा उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

16. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, **महारवल खेवाजी ट्रस्ट (पंजीकृत) फरीदकोट बनाम बलदेव दास, जो (2004) 8 एससीसी 488** में रिपोर्टेड है, के मामले में, आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सीपीसी के अंतर्गत अस्थायी स्थगनादेश देने के संबंध में एक विधिक सिद्धांत स्थापित किया है कि जब तक और इतना कि मुकदमे के पक्षकार द्वारा अपूरणीय क्षति

(30/05/2025 को 12:20:31 बजे डाउनलोड किया गया)

या नुकसान का मामला प्रस्तुत न किया जाए, तब तक न्यायालय को प्रकृति के स्थगनादेश की अनुमति नहीं देनी चाहिए। संपत्ति में परिवर्तन होने की संभावना, जिसमें संपत्ति का विचलन या अंतरण भी शामिल है, जिससे उस पक्ष को नुकसान या हानि हो सकती है, जो अंततः सफल हो सकता है और इससे कार्यवाही की बहुलता भी उत्पन्न हो सकती है। उपरोक्त सिद्धांत को देव प्रकाश एवं अन्य. बनाम इंद्र एवं अन्य। (2018) 14 एससीसी 292 में भी अपनाया गया है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि अस्थायी स्थगनादेश और रिसीवरशिप की अवधारणा का मूल उद्देश्य नागरिक वाद की लंबित स्थिति में किसी भी संपत्ति की संभावित बर्बादी, क्षति एवं अंतरण को रोकना है, जिससे दूसरी तरफ अत्यधिक असीमित हानि हो सकती है या स्थिति को अपरिवर्तनीय बना दिया जा सकता है, जिससे न केवल अंतिम निर्णय पर असर होगा बल्कि दी गई राहत भी भ्रमित हो जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायिक विवेक को न्यायशास्त्रीय नैतिकता द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए और किसी भी स्थिति में यह स्वयं को एक अनुशासनहीन घोड़े की तरह संचालित नहीं कर सकता।

17. अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों या अन्य व्यक्तियों द्वारा मूर्तियों और छायाचित्रों को पहुँचाई गई किसी भी क्षति से बचाने के लिए एक विवेकाधीन आदेश पारित किया गया है। प्रतिवादियों को धार्मिक या आध्यात्मिक भावनाओं की आड़ में स्वामी जी की छायाचित्र पर चंदन लगाने और किसी भी प्रकार का नाम आदि लिखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। लेकिन, साथ ही, प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता-मंदिर में पूजा करने और धार्मिक कार्यों व गतिविधियों में शामिल होने का भी समान अधिकार है। उन्हें

(30/05/2025 को 12:20:31 बजे डाउनलोड किया गया)

दिनांक 12.03.2024 के विवादित आदेश की आड़ में मंदिर में "सेवा-पूजा" करने से नहीं रोका जा सकता।

18. साथ ही, वादीगण को यह अनुमति नहीं दी जा सकती कि वे प्रतिवादीगण को याचिकाकर्ता-मंदिर में प्रार्थना करने और पूजा-अर्चना करने से रोकें। किसी भी व्यक्ति की धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाओं को आहत नहीं किया जा सकता। प्रतिवादीगण मूर्तियों और स्वामी जी की फोटो-प्रतिमा के सम्मुख फूल या मालाएं रख सकते हैं और बिना किसी प्रकार की क्षति पहुँचाए धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों एवं गतिविधियों में भाग ले सकते हैं।

19. उपर्युक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, विवादित आदेश दिनांक 12.03.2024 संशोधित किया जाता है और तदनुसार, रिट याचिका निम्नलिखित निर्देशों एवं शर्तों के साथ समाप्त मानी जाती है, तथा इनका अनुपालन किया जाएः

ए) वादीगण एवं प्रतिवादीगण दोनों मंदिर परिसर की निकटता एवं प्रांगण में प्रत्येक 25-25 स्थानीय प्रजाति के वृक्ष लगाएंगे। वृक्षारोपण की प्रक्रिया चार सप्ताह की अवधि के भीतर सम्पन्न की जाएगी।

बी) वादीगण एवं प्रतिवादीगण दोनों इन वृक्षों की देखभाल मुकदमे के निर्वहन होने तक करेंगे।

सी) वादीगण एवं प्रतिवादीगण प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह तक इन लगाए गए वृक्षों की अनुपालन/स्थिति रिपोर्ट, मुकदमे के निस्तारण तक, फोटोग्राफ्स

(30/05/2025 को 12:20:31 बजे डाउनलोड किया गया)

सहित प्रस्तुत करेंगे। उनका यह कृत्य निश्चित रूप से उन्हें ईश्वर एवं प्रकृति, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा रचित है, में विश्वास को बढ़ाएगा।

20. स्थगन प्रार्थना पत्र तथा अन्य सभी आवेदन (यदि कोई लंबित हो) भी निस्तारित माने जाते हैं।

21. इस आदेश के साथ विदाई से पूर्व यह स्पष्ट किया जाता है कि ट्रायल कोर्ट इस वाद एवं विवाद का, दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात, इसकी गुणवत्ता के आधार पर निर्णय सुनाएगी, और इस न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी अवलोकन से प्रभावित नहीं होगी।

22. अनुपालन जांचने हेतु मामले को 01.08.2024 को सूचीबद्ध किया जाए।

(अनूप कुमार धंड), जे

गरिमा,जेआरपीए

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra
Advocate

(30/05/2025 को 12:20:31 बजे डाउनलोड किया गया)